<u>राज्य सभा</u>

तारांकित प्रश्न संख्या *241

11 दिसंबर, 2019 को उत्तर के लिए

सरकारी क्षेत्र की इकाइयों (पीएसयूज) और निजी क्षेत्र की इस्पात कंपनियों का कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) संबंधी व्यय

***241. डा॰ सस्मित पात्राः**

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) विगत तीन वर्षों के दौरान भारत में सरकारी क्षेत्र की सभी इकाइयों और निजी क्षेत्र की इस्पात कंपनियों का कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) संबंधी कुल व्यय कितना रहा है तथा संबंधित सरकारी क्षेत्र की इकाइयों और निजी क्षेत्र की इस्पात कंपनियों के व्यय का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है; और

(ख) इन सरकारी क्षेत्र की इकाइयों और निजी क्षेत्र की इस्पात कंपनियों द्वारा कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व निधि में से उपर्युक्त (क) के संबंध में किए गए व्यय से कौन-कौन से कार्य संपन्न किए गए?

<u>उत्तर</u>

इस्पात मंत्री **(श्री धर्मेंद्र प्रधान)**

(क) और (ख): एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

*****

"सरकारी क्षेत्र की इकाइयों (पीएसयूज) और निजी क्षेत्र की इस्पात कंपनियों का कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) संबंधी व्यय" के बारे में डा. सस्मित पात्रा, संसद सदस्य द्वारा राज्य सभा में दिनांक 11 दिसंबर, 2019 के लिए पूछे गए तारांकित प्रश्न संख्या *241 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क): विगत तीन वर्षों के दौरान इस्पात मंत्रालय के अधीन केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों (सीपीएसई) द्वारा कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) पर किया गया कुल व्यय निम्नवत् है:

(लाख रुपये में)

सीपीएसई का नाम	**2016-17**	**2017-18**	**2018-19**
स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल)	2905	2570	3118
राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (आरआईएनएल)	853	960	1030
एनएमडीसी लिमिटेड	17418	16937	16724
मॉयल लिमिटेड	1143	962	929
एमएसटीसी लिमिटेड	80	215	200
मेकॉन लिमिटेड	67	49	17
केआईओसीएल लिमिटेड	38	16	33

निजी क्षेत्र की इस्पात कंपनियों की सीएसआर व्यय संबंधी आंकड़े इस मंत्रालय में नहीं रखे जाते हैं।

(ख): इस्पात पीएसयू द्वारा शुरू की गई सीएसआर गतिविधियाँ कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची VII में सूचीबद्ध गतिविधियों के अनुसार हैं और इनमें अन्य बातों के साथ-साथ शिक्षा एवं स्वास्थ्य को बढ़ावा, महिला सशक्तिकरण, स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से सतत आय अर्जन, दिव्यांगजनों को सहायता, जल एवं स्वच्छता सुविधाएं, ग्रामीण विकास, पर्यावरणीय संपोषणीयता, खेल-कूद प्रशिक्षण, परंपरागत कला एवं संस्कृति को प्रोत्साहन इत्यादि शामिल है।

****